

## कार्यालय— अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

### कार्यालय—आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम-21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय, गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति आधार पर स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग कार्मिकों के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

#### क: लिपिक संवर्ग कार्मिक

#### क(1):अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री विनोद कुमार नौटियाल, प्रधान सहायक	कार्यालय—मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग	कार्यालय—परियोजना निदेशक, हीफर रियरिंग फार्म, पशुलोक ऋषिकेश	जनहित
02	श्री दीपक रावत, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय—मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी	कार्यालय—परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, ऋषिकेश	जनहित

#### क(2):अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री गणेश प्रसाद बमोला, प्रधान सहायक	कार्यालय—परियोजना निदेशक, हीफर रियरिंग फार्म, पशुलोक ऋषिकेश	कार्यालय—मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग	जनहित
02	श्री नेहा बंगवाल, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय—परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र, पशुलोक ऋषिकेश	कार्यालय—मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी	जनहित
03	श्री रमेश सिंह बिष्ट, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय—पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी, देहरादून	कार्यालय—अपर निदेशालय, पौड़ी	जनहित

#### क(3):अनुरोध के आधार पर

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री गौरव गुसाई, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय—अपर निदेशालय, पौड़ी	कार्यालय—पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी, देहरादून	निजि अनुरोध
02	श्री सोरव रावत, कनिष्ठ सहायक	कार्यालय—मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी	कार्यालय—अपर निदेशालय, पौड़ी	निजि अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त किया जाय, किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने हेतु उनका स्वयं एवं किसी सम्बन्धी का प्रत्यावेदन अग्रसारित न किया जाय, यदि कोई कर्मचारी स्थानान्तरण रोकने का प्रयास करता है तो सम्बन्धित कर्मचारी के कृत्य एवं आचरण को स्थानान्तरण अधिनियम 2017 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध संगत प्राविधानों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होगें।




ह०/—(डा० अशोक कुमार)  
अपर निदेशक।

पृ०सं० 546

/स्था०-2/स्थाना०-लिपिक संवर्ग/2023-24 दिनांक 10/06-2023

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौडी, रुद्रप्रयाग।
- 3- परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक-ऋषिकेश।
- 4- परियोजना निदेशक, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी, देहरादून।
- 5- परियोजना निदेशक, हीफर रियरिंग फार्म, पशुलोक ऋषिकेश।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

  
(डा० अशोक कुमार)  
अपर निदेशक।